TS-108/22

25-1-24 वादी एवं प्रतिवादी सं0-3 की ओर से हाजरी दी गई। वादी के निषेधाज्ञा आवेदन दि0-22-2-23 पर आदेश को प्रस्तुत दि0-8-2-24 वास्ते आदेश हेतु लो

मुंसिफ

न्यायालय, मुंसिफ, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–108 / 2022

प्रवीण कुमार वगैरह...वादीगण

बनाम

विजय पासवान वगैरह...प्रतिवादीगण

आदेश

08.02.2024 अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. तथा प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 25.05.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद नं0 1 भूभाग जो वादी के पिता के द्वारा खरीदगी जमीन है जिसका अंश भाग पर प्रतिवादीगण के द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया है जिसका विवरण वाद पत्र के मद नं0 2,3,4 में वर्णित है, पर हकियत की उद्घोषणा एवं पाने दखल क़ब्जा की डिक्री के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण द्वारा लगाया हुआ गुल्लर का पेड़ जो मद नं0 4 भूभाग पर अवस्थित था उसको जबरन दिनांक 10.0.2023 को काट लिया एवं शौचालय एवं सोख्ता निर्माण करने के उद्देश्य से गड्ढ़ा खोद दिया है एवं मद नं0 4 विवादी स्थल पर पक्का साख्ता निर्माण हेतु ईट, बालू, गिट्टी व सिमेंट आदि सामग्री अवैध निर्माण करने हेतु रखे हुए हैं एवं विवादी भूभाग का भौतिक स्वरूप बदलने पर आमदा है जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी का अग्रतर कथन है कि प्रस्तुत वाद में वादी को सफलता मिलने की पूर्ण सभावना है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रस्तुत वाद वादी के पक्ष में है और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है और प्रतिवादी को अवैध निर्माण करने से नहीं रोका जाता है तो वादी का अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कारण साधारण अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर प्रतिवेदन मंगाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी अधिवक्ता आयुक्त की फीस की राशि न्यायालय में जमा करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए वाद के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का अवैध निर्माण करने एवं भौतिक स्वरूप परिवर्तन करने से प्रस्तुत वाद के लम्बन अवधि तक अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी सं0–3 की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन मनगढ़त एवं काल्पनिक है। प्रतिवादीगण का विवादित भूभाग पर आवासीय मकान एवं शौचालय बना हुआ है और प्रतिवादी सपरिवार उक्त मकान में रहते आ रहे है और माल मवेशी वगैरह बांधते हैं जिसका उल्लेख प्रतिवादी ने अपने वयान तहरीर में भी किया है।

लगातार
08-02-24

वादी का आवेदन गलत कथनो के साथ दाखिल किया गया है जो पोषणीय नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दि0 22.2.2023 को खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद विवादित भूमि पर हकियत की उद्घोषणा एवं दखल कब्जा वापसी की डिकी पाने के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी के लिए दाखिल किया है। वादी विवादित भूमि पर अपना दावा केवाला के आधार पर करते हैं तथा प्रतिवादी उक्त भूमि पर अपना दावा वासगित पर्चा के आधार पर करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादपत्र में कुल चार भूमि अंकित की गई है जिसमें से मद सं0–2, 3 एवं 4 पर प्रतिवादीगणों द्वारा किए जाने वाले निर्माण के संबंध में उपरोक्त अनुतोष की मांग की गई है जिसके संबंध में दखल–कब्जा वापसी का अनुतोष वाद दायर किए जाने के समय ही मांगा गया है अर्थात वाद दायर करते समय ही उक्त भूमि पर वादी का दखल–कब्जा ना होना पुष्ट है। अत : प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में दखल–कब्जा के संबंध में नहीं है।

जहाँ तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है तो विवादी भूमि पर प्रतिवादी का दखल–कब्जा स्वीकृत है एवं स्वयं वादी ने अपने आवेदन में विवादित भूमि पर प्रतिवादी का निर्माण होना बताया है। अतः सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है। चूँकि वाद दखल–कब्जा वापसी से संबंधित है। अतः वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन पर वादी को विवादी भूमि पर अनुतोष मिलना अथवान अनुतोष ना मिलना निश्चित है। अतः वादी को तत्काल किसी प्रकार के कोई अपूर्णीय क्षति का प्रश्न अंर्तवलित नहीं है तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को दिनांक– 06.03.2024 वास्ते उभयपक्ष के दावा पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

राजीव कुमार,
मुंसिफ, पटोरी